प्रवेश संबंधी नियमावली

1. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धान्त के आधार पर गुणानुक्रम से की जावेगी ।
2. प्रवेश -शुल्क जमा करने पर ही वैध माना जावेगा ।
3. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नही दिया जावेगा ।
4. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा सेन्ट्रल बोर्ड नयी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) द्वारा प्रदान किया जायेगा । इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए सूचना पटल का अवलोकन करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा ।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रुप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हे छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी ।
7. क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी ।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75% प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
9. यदि विद्यार्थी एक संकाय से दुसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांको से 5 % काटकर निर्धारित किया जायेगा ।
10. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।